भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1440
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आधारित फसल मूल्यांकन प्रणाली

1440. श्री जय प्रकाशः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी जिलों में वर्ष 2023 के खरीफ मौसम के दौरान उत्पादित कपास की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा दावों का मूल्यांकन "फसल कटाई प्रयोग" (सीसीई) के बजाय प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के माध्यम से किया गया था, जबकि ऑपरेशन दिशा-निर्देश-2023 और वाईए-टेक मैनुअल के अंतर्गत इसके लिए कोई स्पष्ट अनुमति नहीं थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन दिशानिर्देशों के आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया;

(ग) क्या सरकार को उक्त तकनीकी पद्धति के विरुद्ध भिवानी और चरखी दादरी जिलों के किसानों या किसान संगठनों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनके निपटान की स्थिति और इसके विरुद्ध अपील करने के लिए किसानों के पास उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जिलों में 2023 के खरीफ मौसम के दौरान उत्पादित कपास की फसल के लिए बीमा दावे का भुगतान किए गए किसानों की संख्या और हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल कितना है और हरियाणा में गांव-वार भुगतान की गई कुल बीमा दावा राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, सरकार ने योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, CCE-Agri App के माध्यम से उपज/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के आंकड़ों को एकत्र करके उन्हें सीधे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के साथ एकीकृत करना, किसानों के लिए ऐप शुरू करना जहाँ वे अपने आवेदनों की स्थिति की जाँच कर सकते हैं, CSC के माध्यम से किसानों का नामांकन आदि शामिल हैं।

उपज आकलन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए और साथ ही ग्राम/ग्राम पंचायत के लिए बीमा के इकाई क्षेत्र में कमी के कारण फसल कटाई प्रयोगों (CCE) की संख्या में वृद्धि, राज्यों के पास जनशक्ति/इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, CCE के संचालन के लिए समय की अनुपलब्धता, मैनुअल डेटा संग्रह और ट्रांसमिशन के परिणामस्वरूप गणना और दावों के निपटान में देरी जैसी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उपज के आकलन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) के माध्यम से किए गए विभिन्न पायलट अध्ययनों के आधार पर, रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज आकलन के लिए क्रमिक माइग्रेशन के लिए यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज आकलन प्रणाली) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। यस-टेक के अंतर्गत, रिमोट सेंसिंग डेटा, मृदा नमी डेटा आदि जैसे विभिन्न इनपुट का उपयोग करके विभिन्न मॉडल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसलों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% वेटेज

यस-टेक से प्राप्त उपज को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हरियाणा सहित 10 प्रमुख राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यान्वयन के लिए यस-टेक को अपनाया है। तथापि, यस-टेक के अंतर्गत कपास अभी भी शामिल नहीं है।

इसके अतिरिक्त, योजना के परिचालन दिशानिर्देश 2023 के खंड 19.2 के अनुसार, बीमा कंपनी और राज्य सरकार के बीच उपज डेटा आदि से संबंधित किसी भी विवाद का निपटान विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा अपील करने पर प्रथम स्तर पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (STAC) और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (CTAC) के माध्यम से किया जाता है।

खरीफ 2023 सीज़न के दौरान, भिवानी और चरखी दादरी ज़िलों में कपास की फसल से संबंधित उपज डेटा विवाद को सुलझाने के लिए, STAC हरियाणा ने 20 अगस्त 2024 को अपनी बैठक में, PMFBY के परिचालन दिशानिर्देश 2023 के खंड 19.5, 19.6 और 19.7 के अनुसार MNCFC/HARSAC से ग्राम-वार तकनीकी उपज प्राप्त करने का निर्णय लिया, जिसे राज्य सरकार और बीमा कंपनी दोनों ने स्वीकार कर लिया। STAC के आदेशों के विरुद्ध किसी भी पक्ष द्वारा CTAC में कोई और संदर्भ/अपील नहीं की गई।

(ग) और (घ) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को भिवानी और चरखी दादरी जिलों में कपास फसल के दावों के निपटान में प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों का उपयोग करने के विरुद्ध "अखिल भारतीय किसान सभा" नामक एक किसान संगठन से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

प्रभावित किसान योजना में प्रदान की गई शिकायत निवारण व्यवस्था के अनुसार, राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) के समक्ष STAC के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इस समिति को परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, जिसके अनुसार शिकायतों की सुनवाई और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा।
(ङ) : खरीफ 2023 सीजन के दौरान हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी जिलों में कपास की फसल के लिए भुगतान किए गए बीमा दावों के अंतर्गत लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या, कवर किए गए क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

ज़िला	**भुगतान किया गया दावा (करोड़ रुपये में)**	**बीमित क्षेत्र के विरुद्ध किसानों को भुगतान किए गए दावे (हेक्टेयर में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या (संख्या में)**
भिवानी	95.17	35,693.82	25,527
चरखी दादरी	11.26	6,587.33	5,988

*****